# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी— संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्याः— 2022 / 100

सिविल प्रकरण संख्याः— 44 / 2022 तारीख रजू 21.12.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

**बनाम**

1. जितेन्द्र कुमार सैन पुत्र श्री वीरबहादुर (विक्रेता) मैसर्स जयभवानी मसाला उद्योग, दुकान नं0 ए—14, चूडी मार्केट, पुरानी सब्जी मण्डी, बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी — एच—120, पानी की टंकी के पास, खेरदा, जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रीमती राजू देवी सैन पत्नी श्री वीरबहादुर (प्रोपराईटर) मैसर्स जयभवानी मसाला उद्योग, दुकान नं0 ए—14, चूडी मार्केट, पुरानी सब्जी मण्डी, बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी — एच—120, पानी की टंकी के पास, खेरदा, जिला सवाई माधोपुर।

......... अभियुक्तगण

**न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011**

**निर्णयः—** दिनांक 08.09.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 11.06.2022 को सांय 04.00 पी.एम. पर उक्त संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु काउन्टर पर प्रदर्शित कर हल्दी, हल्दी एवं धनिया पाउडर व अन्य मसाले रखे थे जो खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2.3.14(15) का उल्लंघन है एवं प्रतिबंधित है।उक्त काउन्टर पर रखे मसाले के खुल्ले कटटे जिनमें मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच काउन्टर पर रखे हल्दी पाउडर के कटटे से 02 किलो हल्दी पाउडर (लूज) खरीदकर उसकी कीमत 336 / — रूपये विक्रेता श्री जितेन्द्र कुमार सैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री जितेन्द्र कुमार सैन के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान अशोक कुमार सैनी एवं धर्मराज के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलो हल्दी पाउडर (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा हल्दी पाउडर को प्रत्येक बोतल में बराबर—बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट [illegible] किया तथा [illegible] कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-2380** दर्ज किया [illegible] हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। [illegible] अलग—अलग खाकी का[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2380 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता जितेन्द्र कुमार सैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति जितेन्द्र कुमार सैन को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/1041 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2060/एक्ट/2022/2073 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** हल्दी पाउडर **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose Condition.** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose Condition** हल्दी पाउडर का विक्रय/प्रदर्शित करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जबाव पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अभिलेख की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose Condition** हल्दी पाउडर का विक्रय/प्रदर्शित करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त द्वारा बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सेम्पल लिया था। सेम्पल की लेब द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में प्रार्थी के उत्पाद की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है केवल खुली अवस्था में हल्दी का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के रेगूलेशन नं0 2.3.14(15) का उल्लंघन का दोषी माना गया है। प्रार्थी की उक्त फर्म सेम्पल के चार माह बाद ही बन्द हो गई। फैक्ट्री में आग लगने के कारण सारा माल/सामान नष्ट हो गया। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, आय का कोई साधन नहीं है तथा सवाई माधोपुर के बाहर रहकर छोटी-मोटी नौकरी कर परिवार का पालन कर रहा है। अन्त में प्रार्थी द्वारा तत्समय विक्रय किये गये उक्त उत्पाद की गुणवत्ता में कोई गलती नहीं होने तथा प्रार्थी की वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी को प्रकरण से दोष मुक्त करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2060/एक्ट/2022/2073 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** हल्दी पाउडर **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose Condition.** प्रकृति का होना पाया गया है किन्तु अभियुक्त की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एवं उत्पाद की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होने सिर्फ उत्पाद को खुली अवस्था में बेचने के कारण अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य नियमों का गंभीर उल्लंघन किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा यह कार्य अभियुक्त द्वारा नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण किया जाना प्रतीत होता है। इस संदर्भ में अभियुक्त को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में उक्तानुसार उत्पाद को खुली अवस्था में नहीं बेचा जावे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested